हरियाणा में लाल डोरा संपत्तियों पर बड़ा कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा सरकार** ने शहरी क्षेत्रों में लाल डोरा संपत्तियों से संबंधित लंबे समय से चल रहे मुद्दों को हल करने के लिये एक **व्यापक रजिस्ट्री पहल** शुरू की है।

- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों और दीर्घकालिक किरायेदारों दोनों को लाभ मिलेगा।

मुख्य बिंदु

- **लाल डोरा का सीमांकन वर्ष 1908** में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जिसमें औपचारिक बस्तियों के बाहर कृषि के लिये क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था।
    - इन भूमियों को **भवन निर्माण उपनियमों और नगरपालिका विनियमों से छूट दी गई है,** लेकिन **मालिकों को अक्सर स्वामित्व सिद्ध करने में चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है, जिससे संपत्ति के लेन-देन एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।
    - राज्य सरकार ने गाँवों को **लाल डोरा प्रतिबंधों से मुक्त करने हेतु उपाय** लागू किये, जिससे वहाँ रहने वालों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिल सके।
- स्वामित्व योजना का उद्देश्य लाल डोरा क्षेत्रों में **संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों को सुव्यवस्थित** करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- **मुख्यमंत्री गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थियों को संपत्ति प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री वितरित करेंगे,** जो हरियाणा में शहरी विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षण होगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

- इसे **राज्य में 20 वर्षों से अधिक समय से किराए या पट्टे पर चल रही नगर पालिकाओं की वाणिज्यिक भूमि का स्वामित्व देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।**
- इस योजना के तहत, जो व्यक्ति किराए या पट्टे के माध्यम से 20 वर्षों से भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टर दर के 80% तक भुगतान पर स्वामित्व अधिकार दिया जा रहा है।
- इसी तरह ज़मीन पर कब्ज़े के वर्षों की सीमा के अनुसार **अलग-अलग दरों पर कलेक्टर रेट देना होगा,** जैसे 25 वर्ष के लिये कलेक्टर रेट का 75%, 30 वर्ष के लिये 70%, 35 वर्ष के लिये 65%, 40 वर्षों के लिये 60%, 45 वर्षों के लिये 55% तथा **50 वर्षों के लिये 50% भुगतान पर स्वामित्व अधिकार देने का प्रावधान है।**

स्वामित्व योजना

- **स्वामित्व का** तात्पर्य **गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण से है।**
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर **राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च** किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिये एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
- **ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण** और **CORS (Continuously Operating Reference Stations अर्थात् निरंतर प्रचालन संदर्भ स्टेशन) नेटवर्क** का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेमी. की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
- इससे गाँवों के बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवार स्वामियों को '**अधिकारों का अभिलेख (Record of Rights)**' उपलब्ध हो सकेगा।
- यह **वर्ष 2021-2025 के दौरान** पूरे देश के **लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगा।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-big-move-on-lal-dora-properties